प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल
"चयन भवन" ,मेन रोड नं. 1. चिनार पार्क ईस्ट० भोपाल 462011
फोन न.— .+91-755-2578801-02-03-04, Fax:.+91-755-2550498,
website: www.peb.mp.gov.in, E-Complain Id : Complain.peb@mp.gov.in

प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट - 2020

(केवल महिला अभ्यर्थियों के लिये)

परीक्षा संचालन एवं प्रवेश नियम पुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन-पत्र	
भरने की प्रारम्भ तिथि : 05.01.2021	भरने की अंतिम तिथि : 19.01.2021
आवेदन पत्र मे संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : 05.01.2021	आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि : 24.01.2021
परीक्षा दिनांक व दिन	06.02.2021 & 07.02.2021, शनिवार एवं रविवार
परीक्षा शुल्क	
अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	रू. 400/-
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग / नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिये	रू. 200/-
ऑनलाईन आवेदन -कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रूपये 60/- देय होगा । इसके अतिरिक्त रस्टिर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20/- रू. देय होगा ।	

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोटिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय	उत्तर अंकित का समय
06.02.2021 & 07.02.2021, शनिवार एवं रविवार	प्रथम	प्रात: 07:00 - 08:00 बजे तक	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रात: 09:00 से 11:00 बजे तक (2:00 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 12:00 - 01:00 बजे तक	01:50 से 02:00 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 02:00 से 04:00 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :-

1. अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है ।
2. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है ।
3. बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यु.आई.डी.ए.आई(UIDAI)के द्वारा सत्यापित(Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा । मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा ।
4. अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड / ईआधार कार्ड की / आधार कार्ड-आधार / आधार नंबर / छायाप्रतिVID की जानकारी लाना अनिवार्य हैं |
5. परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोटिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यथियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
7. परीक्षा कक्ष में डिवाईस इलेक्ट्रानिक यथा मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णत: वर्जित है।
8. ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अत: आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
9. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
10. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोडने की अनुमति नहीं होगी ।

11. आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण पी.ई.बी. द्वारा नहीं किया जाता हैं | अत: कम्प्युटर आधारित **online** परीक्षा मे उम्मीदवारो की पात्रता (**Eligibility**) पूर्णत प्रावधिक (Provisional) होगी |

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल, म0प्र0

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल - 462011

फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498

वेबसाईट : www.peb.mp.gov.in, ई-मेल : E-Complain Id : Complain.peb@mp.gov.in

प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट - 2020

(केवल महिला अभ्यर्थियों के लिये)

विषय-सूची

स.क्रं.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	1 (अ),(ब)	संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ के लिये विभागीय नियम	**03-24**
2.	2.	प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली एवं निर्देश	**25-41**
3.	3.	परीक्षा का पाठ्यक्रम	**42-48**
4.	4.	विभिन्न प्रमाण पत्रों के प्रारूप	**49-57**
5.	**प्रारूप-10**	आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी पत्रक	**58**

(शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु)

For Admission in Govt. Nursing Colleges

PNST

2020

**SELECTION RULES FOR ADMISSION
TO B.Sc. NURSING (4 YEAR COURSE)
IN PH & FW GOVERNMENT NURSING INSTITUTIONS**

शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों के बीएससी नर्सिंग (4 वर्षीय पाठयक्रम) में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों के लिए चयन संबंधी नियम

(FOR FEMALE CANDIDATE ONLY)

(केवल महिला उम्मीदवारों के लिए)

**GOVT. OF MADHYA PRADESH
FORMULATED AND ISSUED BY
DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES
SATPUDA BHAWAN, BHOPAL**

मध्य प्रदेश शासन

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुडा भवन, भोपाल

अध्याय - 1(अ)

नियम

1. सामान्य-

ये नियम राज्य के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के ''शासकीय बी.एस.सी. नर्सिंग महाविद्यालयों में प्रशिक्षण हेतु चयन के नियम'' कहलायेंगे।

ये नियम उन उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश चाहते हैं।

2. परिभाषा - इन नियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -:

(क)**"विभाग"**से अभिप्रेत है -मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।

(ख) **"परीक्षा"**से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा।

(ग) **"पी.एन.एस.टी."((PNST)** टेस्ट से अभिप्रेत है **PRE-NURSING SELECTION TEST((PNST)** चयन परीक्षा।

(घ) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा ऐसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुछेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(च) **"अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुछेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(छ) **"राज्य"** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य।

(ज) **"पी.ई.बी."** से अभिप्रेत है प्रोफेशनल एक्जॉमिनेशन बोर्ड म.प्र.।

3. सीटों का विवरण -:

3.1 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में श्रेणीवार सीटों का विवरण:-

सं. क्र.	**श्रेणी**	**कुलसीट**
1	अनारक्षित	144
2	ई. डब्ल्यू. एस.	54
3	अनुसूचित जन जाति	108
4	अनुसूचित जाति	90
5	अन्य पिछडा वर्ग	144
	कुल	540

3.2 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयोंमें खुली प्रतियोगिता एवं आशा कार्यकर्ताओं हेतु संस्थावार/श्रेणीवार सीटों का विवरण-

क्र..	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	कुल रिक्त सीटों की संख्या 100%	ई. डब्ल्यू. एस.(10%)	अनारक्षित		अन्य पिछडा वर्ग(क्रीमीलेयर को छोडकर) (27%)		अनुसूचित जाति. (16%)		अनुसूचित जन जाति. (20%)	
				सीधी भर्ती	आशा कार्य.	सीधी भर्ती	आशा कार्य.	सीधी भर्ती	आशा कार्य.	सीधी भर्ती	आशा कार्य.
1	रानी दुर्गावती बी.एस.सी. नर्सिंग महाविद्यालय, जबलपुर	60	6	15	1	15	1	9	1	11	1
2	बी.एस.सी नर्सिंग महाविद्यालय, उज्जैन	60	6	15	1	15	1	9	1	11	1
3	बी.एस.सी. नर्सिंग महाविद्यालय देवास	60	6	15	1	15	1	9	1	11	1
4	बी.एस.सी. नर्सिंग महाविद्यालय सतना	60	6	15	1	15	1	9	1	11	1
5	बी.एस.सी. नर्सिंग महाविद्यालय रायसेन	60	6	15	1	15	1	9	1	11	1
6	बी.एस.सी. नर्सिंग महाविद्यालय दतिया	60	6	15	1	15	1	9	1	11	1
7	बी.एस.सी. नर्सिंग महाविद्यालय विदिशा	60	6	15	1	15	1	9	1	11	1
8	बी.एस.सी. नर्सिंग महाविद्यालय झाबुआ	60	6	15	1	15	1	9	1	11	1
9	बी.एस.सी. नर्सिंग महाविद्यालय मंदसौर	60	6	15	1	15	1	9	1	11	1
कुलयोग		540	**54**	**135**	**9**	**135**	**9**	**81**	**9**	**99**	**9**

नोट -:अन्य पिछडावर्ग के लिए आरक्षण माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मान्य किया जावेगा।

4. शैक्षणिक योग्यता/अन्य अहर्ताएं :-

4.1 उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, तथा मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

4.2 नर्सिंग जिसका सीधा संबंध जन सामान्य के स्वास्थ्य परीक्षण एवं इलाज में है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग म0प्र0 का राजपत्र दिनॉक 2019/12/20के अनुसार शारिरिक रूप से दिव्यांग (लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त,बोनापन, एसिड अटैक पीडित मस्कुलरडिस्ट्राफी) प्रवेश हेतु पात्र होंगें इसके अतिरिक्त अन्य दिव्यांग उम्मीदवार प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु अपात्र होंगें |

4.3 बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्य प्रदेश/म.प्र .राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद् भोपाल/सीबीएसई/आईसीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालयों से 10+2 प्रणाली 12 वी विज्ञान संकाय (भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीवविज्ञान) एवं अंग्रेजी विषयों को लेकर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी।

4.4 बिन्दु क्रमांक 4.3 आशा कार्यकर्ताओं पर भी लागू होगा।

5 आयुसीमा -:

5.1 सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर) प्रशिक्षण वर्ग के लिये अभ्यर्थी की1 जुलाई 2020 को आयु न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 28 वर्ष होना चाहिये।

5.2 आशा कार्यकर्ताओं के लिये आरक्षित सीटों में प्रवेश के लिये आशा कार्यकर्ता की 1 जुलाई 2020 को अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिये। आशा कार्यकर्ता के लिये आरक्षित सीटों में अधिकतम आयु सीमा(35 वर्ष) में छूट का कोई प्रावधान नही है।

5.3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े वर्ग (नॉन-क्रीमिलेयर) परित्यक्ता तथा विधवाओं के लिए आयुसीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

5.4 अधिकतम आयु सीमा के सम्बंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे।

6. निरर्हताएं -:

6.1 समय-समय पर यथा संशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के नियम 6 के उपबंधों के अनुसार 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् उम्मीदवार को तीसरी संतान हो तो पात्र नहीं होंगें।

6.2 कोई भी उम्मीदवार जिसके विरूद्ध आपराधिक मामला न्यायालय में विचारित है अथवा न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है अनर्ह होगा।

6.3 पुरूष अभ्यर्थी अपात्र होगें।

6.4 मध्य प्रदेश शासन से जारी राजपत्र दिनॉक 10 मार्च 2000 अनुसार अभ्यर्थी के विवाह के समय आयु 18 वर्ष से कम हो, अयोग्य; अर्थात जिस अभ्यर्थी ने निर्धारित आयु 18 वर्ष से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेंगा।

6.5 किसी अभ्यर्थी की ओर से,अभ्यर्थी के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा /चयन में उसके उपस्थित होने के लिए निरर्हित माना जा सकेगा।

6.6 परीक्षा कक्ष में दुर्व्यवहार एवं शांति भंग करने का प्रयास करने पर आवेदक परीक्षा से अयोग्य घोषित किये जा सकेंगें।

6.7 फर्जी दस्तावेज /दस्तावेज फेरबदल किया हो /चयन के स्तर पर जानकारी छिपाई हो /सारभूत जानकारी छुपाई हो तो ऐसे उम्मीदवार को अयोग्य माना जावेगा। चयनित होने के उपरान्त भी जानकारी गलत पाये जाने पर प्रवेश निरस्त किया जावेगा।

6.8 पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो, कार्यवाही करने पर परीक्षा से अयोग्य घोषित किया जाऐगा।

7. आरक्षण-:

7.1 मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो और अन्य पिछडा वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994क्रं 21वर्ष 1994के उपबंधो के अनुसार लागू होगा।

7.2 अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण का दावा :- आरक्षण का दावा कर रहे अभ्यर्थी के पास मध्यप्रदेश के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है और वह मंडल या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि अभ्यर्थी ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने मे असफल रहता है तो ऐसी अभ्यर्थियों चयन का दावा रद्द हो जाएगा, ऐसे रदद्करण का दायित्व केवल अभ्यर्थी का होगा।

7.3 बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया जनजातिय के अभ्यार्थियों के लिए,विशेष पिछड़ी जनजाति के लिये किये गये विशेष प्रावधान का पालन करते हुये मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ-7-74/2016/आ.प्र/.एकदिनाँक 25.10.2016 मे उल्लेखित प्रावधान अनुसार तथा परिपत्र क्रमांक एफ-6-1/2002/आ.प्र/.एक दिनाँक 23.05.2014 के अनुसार चयन परीक्षा नहीं ली जाएगीं । इस हेतु संबंधित अभ्यर्थियो को अपना आवेदन पत्र पी. ई. बी. को न भेजते हुए सीधे संबंधित विभाग को प्रेषित करना होगा।

7.4 अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटों में से प्रथमत :बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया जनजातिय के अभ्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

7.5 शेष रिक्त सीटो की पूर्ति अनुसूचित जनजाति के ओपन अभ्यर्थियो से की जावेगी।

7.6 आशा कार्यकर्ताओं के प्रवेश के लिये न्यूनतम 5 वर्ष का निरन्तर अनुभव रखने वाली आशा उम्मीदवारों के लिए, उपलब्ध सीटों में 5 प्रतिशत् आरक्षित रखी जावेगी।

7.7 क्रमांक एफ 07-11/2019/आ.प्र/.एक भोपाल, दिनाँक 02 जुलाई, 2019 के अनुसार आर्थक रूप से कमजोर वर्ग (ई.उब्ल्यू.एस.) को 10प्रतिशत आरक्षण की सुविधा बाबत।

नोट -:अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मान्य किया जावेगा।

8. <u>चयन प्रक्रिया -</u>

8.1 शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में बीएससी. नर्सिंग के प्रशिक्षण में चयन हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा एक चयन परीक्षा(पी.एन.एस.टी.)आयोजित की जावेगी। मंडल इस परीक्षा के आधार पर एकजाई प्रवीण्यता सूची श्रेणीवार विभाग को उपलब्ध करावेगा।

विभाग द्वारा एम.पी.आनलाईन के माध्यम से काउंसलिंग आयोजित की जावेगी। काउंसलिंग प्रक्रिया में पी.ई.बी. का कोई हस्ताक्षेप नहीं होगा | काउंसलिंग में छात्राओं को उनके द्वारा दिये विकल्प अनुसार मेरिट के आधार पर नर्सिंग महाविद्यालय आवंटित किया जावेगा। एम.पी.आनलाईन के माध्यम से आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित दिनांक तक उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। उपस्थिति के समय छात्राओं के मूल प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखो का परीक्षण किया जावेगा। मूल प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य रहेगा। समस्त अभिलेखों के परीक्षण उपरांत उपयुक्त उम्मीदवारों को ही प्रवेश दिया जावेगा।

8.2 न्यूनतम अर्हकारी अंक (कट ऑफ मार्क्स) :-

मंडल द्वारा संचालित परीक्षा में केवल उन्ही अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने निर्धारित कुलअंक में से अर्हकारी अंक प्राप्त किए हो। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत तक अंक की छूट देते हुए 40 प्रतिशत न्यूनतम अहर्ता अंक होंगे।

9. बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम की घोषणा और सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी करना-:

9.1 बोर्ड, सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी एक संयुक्त सूची जारी करेगा जिसमें अनुसूचितजातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडें वर्गो को खुली श्रेणीमें रखा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थि जो

अन्य पिछड़ा वर्ग के है और क्रीमीलेयर मे आते है, आरक्षण के लाभ, आयुसीमा मे छूट या इस प्रवर्ग के लिए किसी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

9.2 आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के विरूद्ध समायोजित किया जाएगा यदि वह बिना किसी छूट (जिसमें अभ्यर्थी द्वारा किसी भी आरक्षण का लाभ यथा आयु, शैक्षणिक योग्यता में नही लिया गया है तो ओपन केटेगरी में आएगा)|

9.3 अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति तथा अन्यपिछड़े वर्ग क्रीमीलेयर का कोई उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित (ओपन) सूची में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी अनारक्षित श्रेणी में गणना की जायेगी और ऐसे अभ्यर्थी को उसके संबंधित आरक्षित प्रवर्ग की संख्या मे नहीं जोड़ा जावेगा ।

9.4 आरक्षण का लाभ देते हुए संयुक्त खुली सूची जारी करने के पश्चात् अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गो नॉन क्रीमीमलेयर के सफल अभ्यर्थियों की पृथक-पृथक सूची जारी की जाएगी।

10. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना-:

मंडल एक विज्ञापन जारी करेगा जिसमें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख का उल्लेख किया जाएगा, अभ्यर्थी अपना आवेदन ऑनलाइन नियत तिथि में जैसा की मंडल द्वारा निर्देशित किया जाए प्रस्तुत करेंगें।
अनिवार्य दस्तावेज जो ऑनलाईन आवेदन के समय स्केन कॉपी अपलोड किया जाना होगा -:

a. 10 वीं की अंकसूची जन्म दिनॉक की पुष्टी हेतु ।
b. **12** वी की **10+2** प्रणाली में अंक सूची
c. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मध्यप्रदेश द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र ।
d. मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र ।

11. आवेदन शुल्कः-

a. आवेदन शुल्क की प्रक्रिया, प्रपत्र एवं शुल्क आदि का निर्धारण प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड के मापदंडों के अनुसार होगा जिसका व्यय स्वयं आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा ।
b. आवेदन पत्र एम पी ऑन लाईन कियोस्क माध्यम से प्रस्तुत किये जा सकते है; जिसका शुल्क आवेदक द्वारा कियोस्क केन्द्र पर नगद भुगतान करना होगा ।
c. ऑनलाईन आवेदन त्रुटि सुधार एवं संशोधन का एक अवसर आवेदक को प्रदान किया जावेगा, जिसका भार आवेदक द्वारा प्रोफेशनल एक्जॉमिनेशन बोर्ड के मापदंडों के अनुसार देय होगा ।
d. शुल्क मे छूट जो की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्यपिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों को लागू है, मध्यप्रदेश के उन मूलनिवासियों को ही लागू होगी जिन्हे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडा वर्ग का घोषित किया गया है ।
e. ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य पिछड़ा वर्ग के है और क्रीमीलेयर मे आते है, आरक्षण के लाभ, आयुसीमा मे छूट या इस प्रवर्ग के लिए किसी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे ।

12. परीक्षा का पाठ्यक्रम-:

परीक्षा मंडल द्वारा अंतिम रूप प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाएगी।

13. सहवरिष्ठता -:

परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची निर्धारित होगी, परन्तु परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की आपसी सहवरिष्ठता आयु के आधार पर निर्धारित की जावेगी । आयु समान होने की स्थिति में चयन परीक्षा के विषयों में उल्लेखित विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके

प्राप्तांकों को आधार बनाकर निश्चित किया जावेगा। प्रथम- जीव विज्ञान, द्वितीय-रसायन, तृतीय- भौतिकी एवं चतुर्थ- अंग्रेजी ।

यह आवश्यक नहीं है की अंतिम **CUT-OFF** मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को चयन सूची में लाया जावे।

14. प्रवेश प्रक्रिया-:

14.1 मंडल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी करते समय अंकसूची में भी उम्मीदवारों की मेरिट का उल्लेख किया जावेगा । प्रशिक्षण केन्द्र का आवंटन एम.पी. आनलाईन के माध्यम से आन लाइन काउंसलिंग द्वारा किया जावेगा । मेरिट सूची के आधार पर छात्राओं को उनके द्वारा एम.पी.आनलाईन में किये गये पंजीयन के आधार पर प्रशिक्षण केंद्रो में प्रवेश दिया जावेगा।

नोट – वर्ष 2020 जुलाई सत्र में प्रवेश हेतु लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा पृथक से कोई काउंसलिंग नहीं की जावेगी।

जो उम्मीदवार नियत तिथि को उपस्थित नहीं होगें, उनका कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। उपस्थित होने वाले उम्मीदवारो को मेरिट सूची के अनुसार प्रवेश दिया जावेगा ।

नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश की प्रथम चरण की काउंसलिंग के उपरांत रिक्त सीटों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट www.health.mp.gov.in एवं एम.पी.आनलाईन पर प्रकाशित की जावेगी ।

14.2 **प्रवेश के लिये प्रमाण-पत्रों की सूची:-** उम्मीदवारों को बीएससी नर्सिंग महाविद्यालय में प्रवेश के समय आवंटित प्रशिक्षण केन्द्रों में निम्न मूल प्रमाण-पत्र साथ में लाना अनिवार्य है। **किसी भी प्रमाण पत्र की कमी होने की स्थिति में अपात्र माना जावेगा एवं उनको प्रवेश नहीं दिया जावेगा।** इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

1. माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश/मध्यप्रदेश राज्य मुक्त शिक्षा परिषद् भोपाल/सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. से मान्यता प्राप्त स्कूलों की 10+2 प्रणाली की कक्षा दसवी एवं बारहवीं की अंकसूची (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी (साइंस बायो ग्रुप)) प्रत्येक की एक-एक सत्यापित एवं मूल अंकसूची।
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मध्यप्रदेश द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति सत्यापित कराकर साथ में लावें।
3. मूल निवासी प्रमाण पत्र की मूल प्रति सत्यापित छायाप्रति ।
4. प्रदेश के किसी भी जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया फिटनेस प्रमाण पत्र मान्य किया जावेगा। गर्भवती उम्मीदवार प्रशिक्षण हेतु अपात्र होगी।
5. आशा कार्यकर्ताओं के लिये 5 वर्ष निरन्तर कार्य का सक्षम अधिकारी द्वारा अनुशंसित सेवा अनुभव प्रमाण पत्र ।
6. पी.एन.एस.टी. परीक्षा की अंकसूची/प्रवेश पत्र मूलतः एवं सत्यापित छायाप्रति।

टिप्पणीः-

(i) आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही आरक्षित वर्ग में चयन किया जायेगा।

(ii) प्रवेश हेतु उम्मीदवार सुनिश्चित कर लें कि अध्याय-एक में दिये नियमों के अनुसार वे प्रशिक्षार्थी प्रवेश हेतु पूर्ण रूप से पात्र है।

(iii) किसी भी उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाने पर उसे प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा एवं उपयुक्त विधिक कार्यवाही भी की जावेगी।

उम्मीदवार को मेरिट सूची के आधार पर शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जावेगा । अपने मूल दस्तावेज का सत्यापन समय सीमा में कराना अनिवार्य होगा । उपस्थिति के समय छात्राओं के मूल प्रमाण-पत्र एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण किया जावेगा । मूल प्रमाण-पत्र दिखाना अनिवार्य रहेगा । समस्त अभिलेखों के परीक्षण उपरांत उपयुक्त उम्मीदवारों को ही प्रवेश दिया जावेगा । आवंटित नर्सिंग महाविद्यालय में उपस्थिति देने की निर्धारित तिथितक उपस्थित होना अनिवार्य है । उक्त सत्यापित दस्तावेज गलत पाए जाने पर प्रवेश निरस्त किया जाएगा ।

15. चयन उपरांत पी.टी.एस. (प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेन्ट परीक्षा) उत्तीर्ण करना अनिवार्य: -

चयन उपरान्त प्रशिक्षण केन्द्रों में 3 माह के प्रशिक्षण के बाद पी.टी.एस. (प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेन्ट परीक्षा) जो कि संबंधित संस्था द्वारा ली जायेगी उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इस परीक्षा में असफल होने पर प्रशिक्षण से निष्कासित कर दिया जावेगा।

16. प्रशिक्षण अवधि के पूर्ण होने के पूर्व सीट त्यागना :-

चयनित छात्रा द्वारा यदि शैक्षणिक सत्र के बीच में सीट त्याग दी जाती है अथवा प्रशिक्षण छोडा जाता है तो अभ्यर्थी से अनुबंध अनुसार राशि रूपयें /200000- की अनुबंध राशि वसूल की जावेगी । क्योंकि जो सीट प्रशिक्षण छोडने से रिक्त हुई है उसका लाभ अन्य अभ्यर्थि को प्राप्त हो सकता था परन्तु अभ्यर्थि द्वारा प्रशिक्षण अवधि के मध्य में प्रशिक्षण छोडने के कारण उक्त सीट रिक्त रहेगी।

17. प्रवेश रद्द करना-:

यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीद्वार संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी प्रमाण-पत्र परीक्षण उपरांत फर्जी पाये जाने की स्थिति में चूकवश प्रवेश मिल गया है तो उम्मीद्वार को दिया गया प्रवेश संस्था द्वारा उसके प्रशिक्षण काल के दौरान तुरंत बिना सूचना के रद्द किया जाएगा । प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद में स्वास्थ्य आयुक्त/संचालक, स्वास्थ्य सेवायें का निर्णय अंतिम होगा ।

18. चयन हेतु नीति के निर्धारण एवं नियम के अर्थ लगाने का अधिकार केवल राज्य शासन को :-

उम्मीद्वार के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिये राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा । यदि इन प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) से संबंधित कोई प्रश्नउपस्थित होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

19. नियमों प्रवेश प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार -:

राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है । इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा ।

20. **प्रशिक्षण अवधि में पालन की जाने वाली अनिवार्य शर्तें एवं नियम -:**शासकीय नर्सिंग महाविघालयों प्रवेश के उपरान्त परीक्षार्थी को जिन नियमों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा वे नियम परिशिष्ट - "अ"में दिये गये हैं।

21. **प्रशिक्षण के सफल समापन (उत्तीर्ण) के उपरान्त शासकीय सेवा में नियुक्ति के पूर्व Pre Service Examination लिया जाना-:**

21.1 शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों से सफलतापूर्वक बी.एस.सी .नर्सिंग उत्तीर्ण होने के उपरान्त तत्समय विभाग के अधीन चिकित्सा संस्थाओं में स्टॉफ नर्सेस के पद रिक्त होने की स्थिति में नियुक्ति हेतु प्री सर्विस एक्जामिनेशन लिया जावेगा एवं उक्त वर्ष में उपलब्ध स्टाफ नर्सेस के रिक्त पदों/आवश्यकता के आधार पर मैरिट/वरीयता का निर्धारण करते हुऐशासकीय चिकित्सा संस्थाओं में नियुक्ति प्रदान की जावेगी।

21.2 Pre Service Examination में चयन उपरान्त पदभार ग्रहण करने के पश्चात् विभाग के अधीन न्यूनतम 5 वर्ष की शासकीय सेवा निर्दिष्ट स्वास्थ्य संस्थानमें देने हेतु चयनित अभ्यर्थी बाध्य होगी अन्यथा राशि रूपये 2 लाख की वसूली, डिफाल्टर अभ्यर्थी से की जावेगी।

परिशिष्ट -अ

<u>बी.एस.सी. नर्सिंग हेतु नियम एवं शर्ते</u>

1. बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि चार वर्ष की होगी ।
2. प्रशिक्षण अवधि में छात्रावास में निवास करना व छात्रावास के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा ।
3. प्रशिक्षण अवधि में गर्भधारण करना प्रशिक्षण हेतु अयोग्यता मानी जायेगी ।
4. प्रशिक्षण केन्द्र में जो अवकाश स्वीकृत होगे वही प्रदाय किये जावेगे । मेडिकल की स्थिति में अधिकतम 10 दिवस का मेडिकल अवकाश मिलेगा ।
5. प्रशिक्षणार्थियों को ड्यूटी के समय संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 9/नर्सिंग/प्रशि-. 3/94/1588/1601, दिनांक 7-5-1994 के अनुसार संशोधित गणवेश पहनना अनिवार्य होगा।
6. प्रत्येक सप्ताह में एक दिन के लिये अभिभावक से मिल सकने की व्यवस्था और बड़े त्यौहारों पर अपने अभिभावक के पास जाने की अनुमति दी जा सकेगी ।
7. छात्राओं को प्रशिक्षण अवधि में उनके माता-पिता अभिभावक द्वारा भर्ती के समय लिखित में अधिकृत किये गये व्यक्तियों से ही मिलने की अनुमति दी जावेगी।
8. छात्राओं को कार्य (ड्यूटी समय) पर होते हुए रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
9. ड्यूटी में अवकाश के समय छात्राओं को अकारण चिकित्सालय में घूमने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
10. छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को मेस में भोजन करना अनिवार्य है ।
11. छात्राओं को आवंटित पास के दिन बाहर जाने पर पुनः संध्याकालीन रोल के समय छात्रावास में रहना अनिवार्य होगा ।
12. छात्राओं को बाहर आने-जाने पर अपना नाम एवं पता अपने जाने का समय रजिस्टर में अंकित करना तथा हस्ताक्षर कराना अनिवार्य है ।
13. प्रशिक्षण के दौरान एक प्रशिक्षण केन्द्र से दूसरे प्रशिक्षण केन्द्र में स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है ।
14. उपरोक्त निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से पालन ना करने पर एवं प्राचार्य की शिकायत के आधार पर छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा ।
15. उपरोक्त नियमों के अलावा प्रभारी प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशासकीय दृष्टि से बनाये गये नियमों का पालन करना भी छात्राओं के लिये अनिवार्य होगा ।
16. बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण छात्राओं द्वारा 2,00,000/- (दो लाख रूपये) के बॉण्ड के साथ सॉल्वेंसी भरना अनिवार्य है । शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित के अनुसार अनुबंध बॉण्ड भरना होगा ।

अपर संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

PNST – 2020

PRE NURSING SELECTION TEST – 2020

(B.Sc. NURSING SELECTION TEST)

FOR GIRLS ONLY

केवल लड़कियों के लिये बी.एस.सी.नर्सिंग में प्रवेश हेतु

उम्मीदवारों का चयन संबंधी नियम

मध्यप्रदेश शासन

चयन नियम

RULES FOR SELECTION

SELECTION OF CANDIDATES FOR ADMISSION TO B.Sc. NURSING

(4 YEARS COURSE) TO GOVERNMENT NURSING COLLEGES

2020

Made and Issued by

DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES

&

DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION

GOVT.OF MADHYA PRADESH, BHOPAL

अध्याय - 1(ब)

बी.एस.सी.नर्सिंग कॉलेजों में प्रशिक्षण हेतु

चयन के लिए नियम - 2020

1.1 सामान्य :

1.1 ये नियम राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के ''शासकीय बी.एस.सी.नर्सिंग कॉलेजों में प्रशिक्षण हेतु चयन के नियम'' कहलायेंगे ।

1.2 ये नियम उन उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग में प्रवेश लेना चाहते हैं ।

1.3 परिभाषाएं :

इन नियमों में -

1. राज्य शासन से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन ।
2. टेस्ट से तात्पर्य है Pre-Nursing (B.Sc. Nursing) Selection Test (PNST) प्री नर्सिग चयन परीक्षा ।
3. आयुक्त/संचालक से तात्पर्य है स्वास्थ्य आयुक्त/संचालक चिकित्सा शिक्षा सेवायें, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संचालनालय, भोपाल ।
4. वर्ग से तात्पर्य है 3 वर्गों के उम्मीदवार तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जिनके लिये सीटें प्रचलित नियमों के अन्तर्गत आरक्षित की गयी है ।

2.1 सीटों का आरक्षण :

बी.एस.सी.नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) वर्गो के लिये क्रमश: प्रवेश क्षमता का 16% 20% 14% तथा 10% सीटों का आरक्षण किया गया है तथा ऐसी आरक्षित सीटों का ब्यौरा परिशिष्ट - ''अ'' - में दिया गया है ।

टिप्पणी :-

(अ) विभिन्न आरक्षित वर्गों में से उम्मीदवार केवल एक ही वर्ग में आरक्षण का दावा कर सकता है।

(ब) जिस आरक्षित वर्ग में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा है, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस परीक्षा की नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (जी.एन.एस.टी. में उपयोग किये गये प्रारूप की छायाप्रति संलग्न है)

नोट :- प्रवेश हेतु नियम पुस्तिका में जहाँ-जहाँ प्रमाण-पत्रों के प्रारूपों का उल्लेख किया गया है, ये सभी प्रारूप नियम पुस्तिका के अंत में (अध्याय-4) देखें।

2.2 मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (एस.सी.) तथा अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) वर्ग - ऐसे उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति में या अनुसूचित जनजाति वर्ग में होने का दावा करता है, उसे प्रवेश के आवंटित केन्द्र में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगें :-

(अ) सक्षम अधिकारी के नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र।

(ब) इसी नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में उम्मीदवार अपने पिता का नाम और यदि पिता जीवित न हो तो माता का नाम, यदि माता-पिता दोनों न हों तब वैध अभिभावक का नाम का शपथ-पत्र।

(स) विवाहित लड़की के संबंध में यह शपथ-पत्र उसके पति द्वारा प्रस्तुत किया जाना होगा।

(द) यदि ऐसा शपथ-पत्र किसी भी प्रकार से झूठा या गलत पाया गया तो उम्मीदवार का प्रवेश संबंधी दावा अस्वीकार कर दिया जावेगा एवं यदि उसने प्रवेश पा लिया है तो उसे निरस्त कर दिया जावेगा।

2.3 अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमीलेयर को छोड़कर - ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति क्रीमीलेयर को छोड़कर वर्ग में होने का दावा करता है तो उसे प्रवेश के समय सक्षम अधिकारी द्वारा नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

3.1 प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें :-

3.2 अधिवासी संबंधी आवश्यकताएं :-

प्रवेश हेतु चयन के लिये केवल ऐसे उम्मीदवार की पात्रता होगी :-

1. जो भारत का नागरिक हो ।

2. मध्यप्रदेश के शासन के नियमानुसार मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो ।

टिप्पणीः-मध्यप्रदेश का मूल निवासी संबंधी प्रमाण-पत्र प्रपत्र में दिये गये प्रारूप के अनुसार संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए।

स्पष्टीकरण :- विकलांग उम्मीदवारों के लिये आरक्षण मध्यप्रदेश के नियमानुसार लागू होगा। नर्सिंग जिसका सीधा संबंध जन सामान्य के स्वास्थ्य परीक्षण एवं इलाज में है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग म0प्र0 का राजपत्र दिनाँक 2019/12/20 के अनुसार शारिरिक रूप से दिव्यांग (लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त,बोनापन, एसिड अटैक पीडित मस्कुलरडिस्ट्राफी) प्रवेश हेतु पात्र होंगें इसके अतिरिक्त अन्य दिव्यांग उम्मीदवार प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु अपात्र होंगें |

3.3 **शैक्षणिक अर्हता :-** बी.एस.सी.नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की 10+2 प्रणाली की 12वीं कक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीवविज्ञान एवं अंग्रेजी अनिवार्य विषयों को लेकर न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो । आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी।

अथवा

मध्यप्रदेश में संचालित सी.बी.एस.ई. से मान्यता प्राप्त स्कूलों से 10+2 प्रणाली की 12वीं कक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीवविज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों को लेकर न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उक्त चयन में प्रवेश हेतु पात्रता होगी । आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी ।

3.4 अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थियों की पात्रता :- प्रवेश परीक्षा में वे छात्राएं भी सम्मिलित हो सकती हैं जो इस वर्ष (3.3) में वर्णित परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहीं है । पूरक (सप्लीमेंट्री) आने पर प्रवेश हेतु पात्रता नहीं होगी

3.5 **आयु सीमा :-** 1 जुलाई 2020 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिये । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं परित्यक्ता तथा विधवाओं के लिये आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।

3.6 **स्पष्टीकरण :-** आयु सीमा की गणना करते समय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल का प्रमाण-पत्र (10वीं) या इसकी अंकसूची में जो जन्मतिथि अंकित होगी उसे ही मान्य किया जावेगा । अन्य दस्तावेजों को प्रमाण-पत्र के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा ।

4.1 **चयन प्रक्रिया :-**

4.1 प्रदेश के विभिन्न शा. नर्सिंग महाविद्यालयों बी.एस.सी.नर्सिंग प्रशिक्षण में चयन हेतु व्यवसायिक परीक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा चयन परीक्षा बी.एस.सी.नर्सिंग चयन

परीक्षा (प्री.नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट) आयोजित की जावेगी। मंडल द्वारा इस परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूचियां वर्गवार उपलब्ध करायी जावेगी ।

नोट :- अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को कोई उम्मीदवार, जिसका नाम आरक्षित वर्ग की मेरिट/प्रतीक्षा सूची के साथ ही साथ अनारक्षित वर्ग की मेरिट/प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित है, तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवार को काउंसलिंग के दौरान यह विकल्प होगा की वह सीट आरक्षित वर्ग का चयन करें अथवा अनारक्षित वर्ग का चयन करें।

4.2 इस चयन परीक्षा के लिये किसी न्यूनतम अर्हकारी अंकों का प्रावधान नहीं रखा गया है । प्रवेश हेतु केवल एक प्रश्न-पत्र होगा, जिसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, अंग्रेजी विषयों के भाग होगें । सभी विषयों का मूल्यांकन अलग-अलग होगा एवं सभी के अंक मिलाकर एक प्राप्तांक होगा। मेरिट सूची अंग्रेजी विषय के अंको को जोड़कर तैयार की जावेगी ।

4.3 समान कुल प्राप्त अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता :- परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची निर्धारित होगी, परन्तु परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की आपसी सहवरिष्ठता आयु के आधार पर निर्धारित की जावेगी । आयु समान होने की स्थिति में चयन परीक्षा के विषयों में उल्लेखित विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर निश्चित किया जावेगा। प्रथम-जीव विज्ञान, द्वितीय-रसायन, तृतीय- भौतिकी एवं चतुर्थ- अंग्रेजी ।

4.4 प्रवेश परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर मंडल द्वारा निर्धारित सीटों के मान से वर्ग अनुसार मेरिट सूचियां बनायी जावेंगी ।

5.1 **प्रवेश प्रक्रिया :-**

5.1(अ) मंडल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी करते समय अंकसूची में भी उम्मीदवारों के मेरिट क्रम वर्गवार (सामान्य केटेगरी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग) उल्लेख किया जावेगा। प्रशिक्षण केन्द्र का आवंटन एम.पी.आनलाईन के माध्यम से किया जावेगा। मेरिट सूची के आधार पर छात्राओं को उनके द्वारा एम.पी.आनलाईन में किये गये पंजीयन के आधार पर प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश दिया जावेगा।

नोटः- वर्ष 2020 जुलाई सत्र में प्रवेश हेतु लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा पृथक से कोई काउंसलिंग नहीं की जावेगी । एम.पी.आनलाईन के माध्यम से आवंटित नर्सिंग महाविद्यालय में दिनांक......................... को उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। उपस्थिति के समय छात्राओं के मूल प्रमाण-पत्र एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण किया जावेगा। मूल प्रमाण-पत्र दिखाना अनिवार्य रहेगा। समस्त अभिलेखों के परीक्षण उपरांत

उपयुक्त उम्मीदवारों को ही प्रवेश दिया जावेगा। आवंटित नर्सिंग महाविद्यालय में उपस्थिति देने की तिथि .... निर्धारित है ।

5.1(ब) **चिकित्सा शिक्षा विभाग :-** पी.ई.बी. द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित करते समय अंकसूची में भी उम्मीदवारों के मेरिट क्रम कर वर्गवार (सामान्य केटेगरी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग) उल्लेख किया जावेगा । चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीनस्थ शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, इन्दौर, भोपाल, सागर, ग्वालियर, जबलपुर व रीवा मे प्रवेश हेतु काउंसलिंग अलग से एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से आयोजित की जायेगी एवं एम.पी.आनलाईन के माध्यम से आवंटित नर्सिंग महाविद्यालय में दिनांक.................. को उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। उपस्थिति के समय छात्राओं के मूल प्रमाण-पत्र एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण किया जावेगा। मूल प्रमाण-पत्र दिखाना अनिवार्य रहेगा। समस्त अभिलेखों के परीक्षण उपरांत उपयुक्त उम्मीदवारों को ही प्रवेश दिया जावेगा। काउंसलिंग हेतु तिथि एवं प्रक्रिया की विज्ञप्ति पृथक से विभिन्न समाचार पत्रों में जारी की जावेगी ।

5.2 **प्रवेश के लिये प्रमाण-पत्रों की सूची :-** उम्मीदवारों को बी.एस.सी.नर्सिंग महाविद्यालय में प्रवेश के समय आवंटित प्रशिक्षण केन्द्रों में निम्नांकित मूल प्रमाण-पत्रों को साथ में लाना अनिवार्य है। किसी भी प्रमाण पत्र की कमी होने की स्थिति में उम्मीदवार को अपात्र माना जावेगा एवं उनको प्रशिक्षण हेतु प्रवेश नहीं दिया जावेगा। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

1. 10+2 प्रणाली की कक्षा दसवी, बारहवी की अंकसूची (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी (साइंसबायो ग्रुप) अंग्रेजी विषय अनिवार्य प्रत्येक की एक-एक सत्यापित एवं मूल अंकसूची ।
2. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र की मूलप्रति एवं छायाप्रति सत्यापित कराकर साथ में लावें ।
3. मूल निवासी प्रमाण-पत्र की मूलप्रति एवं प्रत्येक की सत्यापित छायाप्रति ।
4. प्रदेश के किसी भी जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया फिटनेस प्रमाण-पत्र। गर्भवती उम्मीदवार अपात्र (अनफिट) होगी ।

टिप्पणी :-

(i) आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही आरक्षित वर्ग में चयन किया जायेगा ।

(ii) काउंसलिंग में आने के पूर्व उम्मीदवार सुनिश्चित कर लें कि अध्याय-एक में दिये नियमों के अनुसार वे प्रशिक्षणार्थी प्रवेश हेतु पूर्ण रूप से पात्र है अन्यथा काउंसलिंग में उपस्थित न हों ।

(iii) किसी भी उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाने पर उसे प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा।

6.1 **प्रशिक्षण के उपरांत 5 वर्ष की अनिवार्य शासकीय सेवा :-**

सभी चयनित 120 उम्मीदवारों को शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में 4 वर्ष के सफल प्रशिक्षण उपरान्त स्टॉफ-नर्स के पद पर म.प्र. में कहीं भी 5 वर्ष की शासकीय सेवा करना अनिवार्य है, अन्यथा अनुबंध के अनुसार प्रशिक्षण का पूरा व्यय उम्मीदवार से वसूल किया जाएगा। अनुबंध-पत्र समय पर न देने पर प्रवेश निरस्त किया जावेगा एवं स्टाईफण्ड भी नहीं दी जाएगी।

चिकित्सा शिक्षा विभाग :- प्रशिक्षण के उपरांत 5 वर्ष की अनिवार्य शासकीय सेवा :-

चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल द्वारा संचालित सभी अध्ययनरत 420 उम्मीदवारों को शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में 4 वर्ष के सफल प्रशिक्षण उपरान्त स्टॉफ-नर्स के पद पर म.प्र. के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत चिकित्सालयों में कहीं भी 5 वर्ष की शासकीय सेवा देना अनिवार्य है, अन्यथा अनुबंध के अनुसार प्रशिक्षण का पूरा व्यय उम्मीदवार से वसूल किया जाएगा। अनुबंध-पत्र समय पर न देने पर प्रवेश निरस्त किया जावेगा एवं स्टाईफण्ड की पात्रता नही होगी ।

7.1 **प्रवेश रद्द करना :-**

यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीदवार संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर, ससंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात किसी भी समय यह पाया गया कि उम्मीदवारों को किसी गलती या चूक वश प्रवेश मिल गया है तो उम्मीदवार को दिया गया प्रवेश संस्था द्वारा उसके प्रशिक्षण काल के दौरान तुरंत बिना सूचना के रद्द किया जाएगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद में राज्य शासन, भोपाल का निर्णय अंतिम होगा ।

8.1 **चयन हेतु नीति के निर्धारण एवं नियम के अर्थ लगाने का अधिकार केवल राज्य शासन कोः-**

उम्मीदवार के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिये म.प्र. राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा । यदि इन प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) से संबंधित कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9.1 **नियमों/प्रवेश प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार :-**

म.प्र.राज्य शासन, भोपाल प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है । इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा ।

10.1 **प्रशिक्षण अवधि में पालन की जाने वाली अनिवार्य शर्तें एवं नियम :-**

बी.एस.सी.नर्सिंग प्रशिक्षण में प्रवेश के उपरान्त परीक्षार्थी को जिन नियमों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा वे नियम परिशिष्ट -'ब' में दिये गये हैं ।

11.1 **प्रशिक्षण के सफल समापन के उपरान्त स्टॉफ नर्स के पद पर नियुक्ति एवं पद का वेतनमान (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग) :-**

बी.एस.सी.नर्सिंग प्रशिक्षण सफलतापूर्व प्राप्त करने के फलस्वरूप वेतनमान 5200-20200+2800 (शासन द्वारा समय-समय पर परिवर्तित वेतनमान) पर रिक्त पदों पर ही स्टाफ नर्स के पद पर प्रदेश में कहीं भी शासकीय चिकित्सालयों में नियुक्ति प्रदान की जावेगी । प्रशिक्षण से संबंधित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी ।

मध्यप्रदेश शासन् सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7-26/93/1/आर.प्रा., दिनांक 08 मार्च 1994 के अनुसार परिशिष्ट -'द'(11) में खुली प्रतियोगिता के द्वारा प्रादेशिक आधार पर भरे जाने वाले पदो के लिये माडल रोस्टर के अनुसार उपलब्ध 120+390 सीटों का केन्द्रवार विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

नोट :- आवंटन के पश्चात् कॉलेज परिवर्तन नहीं किया जावेगा ।

परिशिष्ट- अ

<u>लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत- शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों के सीटों का विवरण :-</u>

क्र.	कॉलेज का नाम	महिला उम्मीदवारों हेतु कुल सीट	ओपन केटेगरी	अनारक्षित वर्ग			
			अनारक्षित (महिला) *	अनुसूचित जाति (महिला) (16%)	अनुसूचित जनजाति (महिला) (20%)	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) *	EWS 10%
1	शासकीय रानी दुर्गावती नर्सिंग महाविद्यालय, लेडी एल्गिन अस्पताल के पास, जबलपुर	60	--	10	12	--	6
2	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, उज्जैन जिला चिकित्सालय के पास, उज्जैन	60	--	9	12	--	6
	योग	**120**	--	**19**	**24**	--	12

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत शास. नर्सिंग महाविद्यालय इन्दौर, सागर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, रीवा के सीटों का विवरण -

S.No	College Name	Total Number of Seats	UR 40% *	UR SN/FF *	ST 20%	ST SN/FF	SC 16%	SC SN/FF	OBC *	OBC SN/FF *	EWS 10%	EWS SN/FF
1	Govt. College of Nursing, Indore	120	--	--	24	00	19	00	--	--	12	0
2	Govt. Nursing College GMC Bhopal	60	--	--	12	00	9	00	--	--	06	0
3	Govt. Nursing College GRMC Gwalior	60	--	--	12	00	10	00	--	--	06	0
4	Govt. Nursing College BMC Sagar	60	--	--	12	00	9	00	--	--	06	0
5	Govt. Nursing College SSMC Rewa	30	--	--	06	00	05	00	--	--	03	0
6	Govt. Nursing College NSCB Jabalpur	60	--	--	12	00	10	00	--	--	06	0
Total		390	--	--	78	00	62	00	--	--	39	0

नोटः- * माननीय उच्च न्यायालय में ओ.बी.सी.के आरक्षण के संबंध में याचिका दायर है। न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में तत्समय ओ.बी.सी./सामान्य वर्ग की सीट्स का निर्धारण किया जावेंगा।

शासकीय स्वशासी नर्सिंग महाविद्यालय, इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, सागर, रीवा व जबलपुर में 390 सीटों पर प्रवेश हेतु काउंसलिंग की विज्ञप्ति समाचार-पत्रों में अलग से जारी की जावेगी।

परिशिष्ट - 'ब'

बी.एस.सी.नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु नियम एवं शर्तें

01. बी.एस.सी.नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि 4 वर्ष की होगी ।

02. प्रशिक्षण अवधि में छात्रावास में निवास करना व छात्रावास के नियमों को पालन करना अनिवार्य होगा ।

03. प्रशिक्षण अवधि में विवाह व गर्भधारण करना प्रशिक्षण हेतु अयोग्यता मानी जायेगी ।

04. प्रत्येक वर्ष के पश्चात केवल एक माह का ही अवकाश मिलेगा एवं प्रति वर्ष 10 दिवस का मेडिकल अवकाश मिलेगा। आई.एन.सी.के मापदण्ड अनुरूप पाठ्यक्रम एवं परीक्षा के नियम का पालन करना होगा।

05. प्रशिक्षणार्थी को ड्यूटी के समय संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 9/नर्सिंग/प्रशि.-3/94/1588/1601 दिनांक 7-5-1994 के अनुसार संशोधित गणवेश पहनना अनिवार्य होगा ।

06. छात्राओं को कार्य पर होते हुए रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

07. ड्यूटी में अवकाश के समय छात्राओं को अकारण चिकित्सालय में घूमने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

08. छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को मेस में भोजन करना अनिवार्य है।

09. छात्राओं को प्रशिक्षण अवधि में उनके माता-पिता अभिभावक द्वारा भर्ती के समय लिखित में अधिकृत किये गये व्यक्तियों से ही मिलने की अनुमति दी जावेगी एवं अधिकृत किये गये व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाईल नं, आधार कार्ड, व्यक्ति से संबंध एवं फोटो अनुमति पत्रक के साथ जमा करना होगा ।

10. प्रत्येक सप्ताह में एक दिन के लिये व्यवस्था और बडे त्यौहारों पर अपने अभिभावक के पास जाने की अनुमति दी जा सकेगी । परन्तु यह व्यवस्था प्रभारी, प्रशिक्षण केन्द्र प्रशिक्षणार्थी की धार्मिक भावनाओं के परिप्रेक्ष्य में, क्लास एवं क्लीनिकल फील्ड अनुभव में बाधक न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए आंतरिक व्यवस्था की दृष्टि से करेंगे एवं प्रशिक्षणार्थियों को इसका पालन करना होगा।

11. छात्राओं को आवंटित पास के दिन बाहर जाने पर पुनः संध्याकालीन रोलकॉल के समय छात्रावास में रहना अनिवार्य होगा ।

12. छात्राओं को बाहर आने-जाने पर अपना नाम एवं पता अपने जाने का समय रजिस्टर में अंकित करना तथा हस्ताक्षर करना अनिवार्य है ।

13. उपरोक्त निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से पालन ना करने पर एवं प्राचार्या की शिकायत के आधार पर छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए छात्रावास से निष्कासित किया जावेगा ।

14. प्रशिक्षण के दौरान एक प्रशिक्षण केन्द्र से दूसरे प्रशिक्षण केन्द्र में स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है।

15. उपरोक्त नियमों के अलावा प्रभारी प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशासकीय दृष्टि से बनाये गये नियमों का पालन करना भी छात्राओं के लिये अनिवार्य होगा।

16. छात्राओं द्वारा रू.2 लाख का अनुबंध (बाण्ड) भरना अनिवार्य है। (शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित के अनुसार अनुबंध (बाण्ड) भरना होगा)।

चिकित्सा शिक्षा विभाग हेतु :-

17. भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली के मापदण्ड अनुसार छात्राओं को कक्षा में शैक्षणिक सत्र के दौरान 80 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर वार्षिक परीक्षा में नहीं बैठने दिया जावेगा।

18. प्रशिक्षण के दौरान शुल्क हेतु कुल देय राशि - अवर सचिव म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-2-63/03/55/चि.शि./1 भोपाल दिनांक 06.04.2004 के अनुसार काउंसलिंग के समय अनिवार्य रूप से निर्धारित निम्न शुल्क देय करना होगा जिसका विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

(अ) प्रशिक्षण शुल्क - रू 25,000 प्रतिवर्ष

कम्प्यूटर शुल्क - रू 1,000 (सिर्फ एक बार)

कॉशन मनी- रू 500 (सिर्फ एक बार एवं रिफंडेबल)

ट्रांसपोर्ट फीस - रू 1,500 प्रतिवर्ष

कुल शुल्क राषि रू 28,000

(ब) होस्टल फीस- रू 6,000 प्रतिवर्ष (होस्टल उपलब्ध होने पर)

(स) काउंसलिंग फीस- रू 1,000 (सिर्फ एक बार)

शा. नर्सिंग महाविद्यालय, इन्दौर में प्रवेश पाने वाले छात्राओं को काउंसलिंग के दौरान उपरोक्त अ, ब, एवं स बिन्दुओं में दशाई गई शुल्क राशि को 3 पृथक डी.डी. में जमा करना अनिवार्य होगा।

उक्त तीनों डी.डी. सी.ई.ओ., ऑटोनोमस सोसायटी, शा.नर्सिंग महाविद्यालय, इन्दौर के नाम से देय होगी।

19. शासन नियमानुसार समस्त नवीन प्रवेश प्राप्त (एस.टी./ एस.सी./ ओ.बी.सी./ सामान्य वर्ग) छात्राओं को प्रतिमाह रू. 3500/-चार वर्षो तक शासन द्वारा स्टायफण्ड प्रदाय किया जाएगा ।

20. शासन नियमानुसार चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, इन्दौर, सागर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल एवं रीवा में प्रवेश प्राप्त अनुबंधित छात्राओं को चार वर्षिय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात म.प्र.शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालयों के अधीन शासकीय चिकित्सालयों में स्टाफ नर्स पद रिक्त होने की स्थिति में स्टाफ-नर्स के पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।

21. प्रशिक्षण अवधि में छात्रावास में निवास करने वाली छात्राओं व छात्रावास के नियमों को पालन करना अनिवार्य होगा ।

नोटः-

01. वर्तमान मे शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, इन्दौर में छात्राओं की संख्या में वृद्धि होने के कारण के छात्रावास में रूम उपलब्ध होने पर ही प्रवेशित छात्राओं को छात्रावास में निवास की सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी।

02. शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, सागर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल व रीवा में नवीन प्रवेश प्राप्त करने वाली छात्राओं को बिन्दु क्र. 18 दशायें गये दिशा निर्देशानुसार ही निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क, छात्रावास शुल्क, अन्य शुल्क व काउंसलिंग शुल्क देय होगी। परन्तु उक्त नर्सिंग महाविद्यालयों समस्त शुल्क की डी.डी. अलग-अलग नाम से देय होगी।

अध्याय-2

प्रोफेशनल एग्जामिनेश बोर्ड, भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश

खण्ड-अ

2.1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। **अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभॉति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।**

(ii) **विभागीय नियमावली एवं अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।**

(iii) **पदों/सीट्स की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।**

(iv) **अभ्यथी के परीक्षा केन्द्र/तिथि परिवर्तन के आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे**

2.2 (i) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें काउसलिंग की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये ।

(ii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।

(iv) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

(v) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।

2.3 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

(i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।

(ii) काला बॉलप्वाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु ।)

(iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र - मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य, यु.ए.डी.आई.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा।

2.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone,Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener इत्यादि पूर्णत: वर्जित है।

2.5 लिखित परीक्षा में नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ नियमानुसार लागू होने पर :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 एवं पी ई बी के आदेश क्रमांक पी ई बी / प-1 / 712 / 2020 भोपाल दिनाक 05/02/2020 के आधार पर लिखित परीक्षा में नि:शक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :-

(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) नि:शक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से नि:शक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक अथवा प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जावेगी | किन्तु दृष्टिबाधित दिव्यांग अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय दोनों की सुविधा प्रदान की जावेगी | सहायक अथवा प्रतिपूरक समय अथवा दोनों (दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों हेतु) की सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं शपथ पत्र सहित पी ई बी कार्यालय को परीक्षा प्रारंभ होने की दिनाक से 10 दिवस पूर्व प्रस्तुत करनी होगी ताकि पी ई बी स्तर पर नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके| आपरिहर्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी |

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की शैक्षणिक अहर्ता/प्रश्न पत्र के स्तर (जो भी कम हो) से एक स्तर नीचे का होना चाहिए | उदाहरण के लिए यदि परीक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता हायर सेकण्ड्री होना चाहिए ।

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-

यदि अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है तो उसे निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे 30 मिनिट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1 घंटे 30 मिनिट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(स) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :-

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जावेगा |

नोट : - विभागीय नियम की कंडिका क्रमांक 4.2 के अनुसार नर्सिंग जिसका सीधा संबंध जन सामान्य के स्वास्थ्य परीक्षण एवं इलाज में है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग म0प्र0 का राजपत्र दिनाँक 2019/12/20 के अनुसार शारिरिक रूप से दिव्यांग (लोकोमेटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त,बोनापन, एसिड अटैक पीडित मस्कुलर डिस्ट्राफी) प्रवेश हेतु पात्र होंगें इसके अतिरिक्त अन्य दिव्यांग उम्मीदवार प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु अपात्र होंगें |

2.6 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र पी.ई.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

नोट : - प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर पी.ई.बी. ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.7 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

(i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) पी.ई.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।

(ii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

(iii) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, **बाये हाथ के अंगूठे का निशान** तथा हस्तलिपि (काले बाल पांईट पेन से) अंकित करना होगी।

(iv) प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

2.8 मूल्यांकन पद्धति:-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2.9 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियॉ आहूत की जाती है तद्नुसार विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :-

(i) प्रश्न की संरचना गलत हो।

(ii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।

(iii) कोई भी विकल्प सही न हो।

(iv) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।

(v) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।

(vi) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।

(vii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में पी.ई.बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

<u>उदाहरण 01</u> :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100-2)} = 91.83$$

<u>उदाहरण 02</u> :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150-2)} = 141.89$$

<u>उदाहरण 03</u> :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200-2)} = 191.91$$

नोट :- सभी गणना को दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी ।

(आदेश क्र. पी.ई.बी. / 5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)

2.9 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजशन पद्धति :–

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के आदेश क्र. पी.ई.बी./प-1/11/22-2016/4839/2016 भोपाल, दिनांक 04.08.2016 के अनुसार पी.ई.बी. द्वारा आयोजित परीक्षाऐं, जिसमें परीक्षा आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है तो उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजेशन पद्धति से तैयार किया जावेगा । जिसका सूत्र निम्नानुसार है:-

Normalized Mark of j^{th} candidate in i^{th} session $\widehat{M}_{ij}$ is given by:

$$\widehat{M}_{ij} = \frac{\bar{M}_t^g - M_q^g}{\bar{M}_{ti} - M_{iq}}(M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

where,

M_{ij} **is the actual marks obtained by the j^{th} candidate in i^{th}**

$\bar{M}_t^g$ **is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions**

M_q^g **is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions**

$\bar{M}_{ti}$ **is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the i^{th} session**

M_{iq} **is the sum of the mean marks and standard deviation of the i^{th} session**

(नार्मोलाइजेशन पद्धति के बारे में जानने के लिए पी.ई.बी. की वेबसाईट देखे)

2.10 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन:–

(i) प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ इस हेतु पी.ई.बी. वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रदर्शित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है | लिंक अपलोड होने के पश्चात तीन दिवस तक ही ऑनलाइन आपत्तियाँ ली जा सकेंगी | उसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जावेगी |

(ii) बिन्दु क्रमांक 2.9 अ अनुसार पी.ई.बी. द्वारा प्रश्न-पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम "की" (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी ।

(iii) अंतिम उत्तर के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

2.11 **अनुचित साधन** (**Unfair means, UFM**) :–

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है:-

(अ) **अनुचित साधन (Unfair means)**/ यू.एफ.एम. (**UFM**) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा /Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रानिक घडी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना पूर्णत: प्रतिबंधित होगा।
2. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफसी करना, ईशारे करनाव अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना।
3. प्रतिबंधित सामग्री पाये जानेपर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौपने से इंकार करनाचा उस स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा।
4 नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
5. सक्षम अधिकारी के निर्देशो की अवहेना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
6. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
7. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना,धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।
8. परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण का उपयोग करना।
9. ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्ता प्रकट होती है।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो।

यूएफएम प्रकरणो में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे। उपरोक्त मेंसे किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्ता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी।

(ब) <u>पररूपधारण (IMPERSONATION) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबध में</u>

1.अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कत्य विधिके अनुसार अपराध है । ऐसे में अभ्यर्थी में विरूद्ध यूएफएमप प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी । ऐसे अपराध के लिए आवेदककर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

2. विभाग द्वारा आयोजित दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व काउंसलिंग के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते है, तो विभाग उक्त अभ्यर्थीकी अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर पी.ई.बी. को अवगत कराया जायेगा ।

पी.ई.बी. द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है ।

2.12 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

(i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

(ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर पी.ई.बी. द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।

(iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर उपलब्ध कराया जावेगा ।

(iv) विभाग/विभागों को भेजी जाने वाली मेरिट लिस्ट पी.ई.बी. की वेबसाईट पर भी अपलोड की जाऐंगी ।

(v) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाऐं भी पी.ई.बी. की वेबसाईट पर अपलोड की जाऐंगी।

2.13 परीक्षा परिणाम :-

(i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम पी.ई.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर अपलोड किया जायेगा।

(ii) तद्नुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणामका प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2.14 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

(i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार पी.ई.बी. का होगा।

(ii) पी.ई.बी. अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं पी.ई.बी. द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

(iii) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख पी.ई.बी. द्वारा जारी आदेश क्र. पी.ई.बी./2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

2.15 न्यायिक क्षेत्राधिकार :- परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा ।

<u>खण्ड-ब</u>

2.16 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा:-

(i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र **प्रारूप-10** अनुसार स्केन कराकर संलग्न करना होगा ।

(ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवी/दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ्डा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

2.17 ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

(i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र **प्रारूप-10** अनुसार स्केन कराकर संलग्न करना होगा । जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।

(ii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।

(iii) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।

(iv) उपरोक्त मांपदड के फोटोग्राफ संलग्न नही किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(v) फोटोग्राफ <u>आवेदन भरने की तिथि</u> से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा <u>फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।</u> यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी ।

(vi) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

(vii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अत: ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉ सुरक्षित रखा जाना होगा।

(viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णत: स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

(ix) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होगें।

2.18 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा:-

(i) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये ।

(ii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।

(iii) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्क धारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।

(iv) अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार के लिखित आवेदन पर पी.ई.बी. द्वारा विचार नहीं किया जायेगा |

(v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2.19 <u>ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :</u>

(i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।

(ii) **आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा।**

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(iv) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णाक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।

(v) **आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार कार्ड क्रमांक** / आधार VID **अनिवार्यत: अंकित किये जाने का प्रावधान रखा है । इसके उपयोग से**

1. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक सत्यापन किया जावेगा।
2. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data संबंधित विभागों को हैश कोडेड सीडी में उपलब्ध कराया जायेगा । विभिन्न विभागों द्वारा यह Biometric सत्यापन स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा ।

(vi) पहचान पत्र के मीनू मे पी.ई.बी. द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया।

2.20 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था :-

(i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.आनलाईन की **वेबसाईट** www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।

(ii) इसके अतिरिक्ति स्वंय के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाईट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टरो) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।

(iii) सीधी भर्ती-बैकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियो द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नही होगा।

(iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

2.21 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :-

(अ) इंटरनेट केफे द्वारा (क्योस्क)

(ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

(i) आवेदक वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत

Application क्लिक कर

PEB लिंक में

परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी **निर्देश/Instructions** तथा परीक्षा **नियम/Examination Rules** उपलब्ध होंगे।

(ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे Browse बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

(v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को Submit करने के पूर्व पुन: पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही Submit बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।

(vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु proceed to payment बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

(अ) क्रेडिट/डेबिट कार्ड (सभी बैंक के)

(ब) इंटरनेट बैंकिंग

2.22 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-

(i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

(ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

(iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2.23 इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-

(i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।

(ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2.24 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर Unpaid Application लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

2.25 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था

ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओ के आधार पर होगी:-

(i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।

(ii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

(iii) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।

(iv) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।

(v) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेंष राशि का भुगतान करना होगा।

(vi) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम एवं जन्मतिथिमें किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।

(vii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(viii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

(ix) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी. द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी. द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

2.26 एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने संबंधी निर्देश :-

(i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन-पत्र की जानकारी यथा आधार नम्बर नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते है ? यदि आवेदक द्वारा "हॉ" विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प "हॉ" का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।

(iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन-पत्र के लिए पुन: शुल्क का भुगतान करना होगा।

(iv) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।

2.27 ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

(i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण पी.ई.बी स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा ।

(ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(iii) इस संबंध में पी.ई.बी द्वारा कोई भी पत्राचार नही किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2.28 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 6720200 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2.29 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

2.30 पुन:गणना/पुनर्मूल्यांकन

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात **पुन:गणना/पुनर्मूल्यांकन** का प्रावधान नहीं है । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

2.31 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है साथ ही परीक्षा सम्बन्धी कोई भी शिकायत पी.ई.बी. की E-mail ID complain.peb@mp.gov.in पर भेज सकते हैं।

खण्ड-स

2.32 आवेदन पत्र भरने की समयावधि

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
05.01.2021	19.01.2021	**15**	05.01.2021	24.01.2021	**20**

2.33 आनलाईन परीक्षा का विवरण

स.क्रं.	दिनांक	दिन	पाली	समय	अवधि	अधिकतम अंक
1.	06.02.2021 & 07.02.2021	शनिवार एवं रविवार	प्रथम	प्रात: 09:00 से 11:00 तक	02 घंटे	150
2.			द्वितीय	दोपहर 02:00 से 04:00 तक	02 घंटे	150

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायक से काला करना होगा।

2.34 (i) परीक्षा शुल्क :-

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क
01.	एक	400/-	200/-	200/-	कियोस्क के माध्यम से भरने पर 60/- रस्टिर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से भरने पर 20/-

(ii) संशोधन किये जाने पर देय शुल्क

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01.	एक	20/-	40/-

2.35 परीक्षा शहर :-

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी । मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है। परीक्षा आनलाईन पद्धति से आयोजित है अत: परीक्षा शहर एवं परीक्षा केन्द्रो की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है ।

आनलाईन परीक्षा केन्द्र			
1. भोपाल	2. इन्दौर	3. जबलपुर	4. ग्वालियर
5.दमोह	6.रतलाम	7.सागर	8.सतना
9.उज्जैन			

<u>खण्ड-द</u>

<u>ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश</u>

2.36

(i) अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र पर उल्लेखित निर्धारित रिपोर्टिंग समय पर परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।

(ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक सत्यापन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।

(iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है

(iv) पी.ई.बी की वेबसाईट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।

(v) पी.ई.बी. कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी

(vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।

(vii) पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।

(viii) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।

(ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थीअपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते है। अत: आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यकरूप से संभाल कर रखे जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

(x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट मे किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का Normalisation करने का प्रावधन पी.ई.बी. के पास सुरक्षित रहेगा।

(xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है

(xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धातर तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा।

(xiii) अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी। ई-आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट यू.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित होने पर ही ई आधार मान्य होगा |

(xiv) परीक्षा में निर्धारित रिपोटिंग समय के पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

अध्याय-3

PRE-NURSING SELECTION TEST – 2020
SYLLABUS

1. PHYSICS

Unit and Dimensions, Dimensional Analysis, S.l, Units, Motion in two dimensions cases of uniform velocity and uniform acceleration, general relation among position and velocity, uniform circular motion, force and inertia. Newton's laws of motion, Conservation of momentum and energy.

Static and kinetic friction, work energy and power elastic collisions, potential energy, gravitational potential energy and its angular conservation to its kinetic energy, potential energy of spring. Rigid body rotation and conservation of its momentum, moment of inertia, theorems of parallel and perpendicular axis. (moment of inertia of uniform ring, disc, thin rod and cylinder only).

Acceleration due to gravity and its variation, universal law of gravitation, geostationary satellites escape velocity.

Hooke's law, young's modulus, shear and bulk modulus, surface energy and surface tension, kinetic theory of gases, gas laws, kinetic energy and temperature.

Specific heats and constant volume and constant pressure mechanical equivalent of heat, isothermal and adiabatic processes. Heat conduction in one dimension, convection and radiation, Stefan's law and Newton's law of cooling. Periodic motion, simple harmonic motion, Oscillations due to spring. Wave motion, principle of superposition, progressive and stationery waves, beats and Doppler effect.

Wave nature of light, interference, young's double slit experiment, velocity of light and Doppler effect in light.

Reflection, refraction, total internal reflection, curved mirrors, lenses, mirror and lens formulae.

Dispersion in prism, absorption and emission spectra. The human eye, defects of vision, magnification and resolving power of telescope and microscope.

"e" and "e/m" for and electron, Einstein's photoelectric equation, photocells.

Bohr model of the atom, Hydrogen spectrum, compositions of nucleus, atomic masses and isotopes, radioactivity, laws of radio active decay, decay constant, half life, mass energy relation,

fissions, X-ray, properties and uses.

Elementary ideas of conductor, semi conductor and insulator, intrinsic and extrinsic semiconductors, p-n junction as a rectifier. Bar magnet, lines of force, torque on a bar magnet due to magnetic field, earth's magnetic field, tangent galvanometer, vibration maganetometer.

Coulomb's law of electrostatic, dielectric constant, electric field and potential due to a point charge, dipole, dipole field, Guass's law in a simplegeometrics.

Electrostatic potential, capacitance, parallel plate and spherical capacities in series and parallel, energy of a capacitor. Electric current, Ohm's law, kirchhoffs laws, resistances in series and parallel temperature dependence of resistance, Wheat stone bridge, potentiometer. measurement of voltage as currents.

Electric power, heating effects of currents, chemical effects and law of electrolysis thermoelectricity

Blot Savart law, magnetic fields due to a straight wire circular loop and solenoid.

Force on a moving charge in a magnetic field (Lorentz force), magnetic moment of current loop, effect of uniform magnetic field of current loop, forces between two currents, moving coil, galvanometer, ammeter and voltmeter.

Electromagnetic induction induced e.m.f., Faradays law, Lenz's law, self and mutual inductance alternating currents, impendance and reactance, growth and decay of current in L-R circuit, elementarary idea if dynamo and transformer.

2. CHEMISTRY:

GENERAL AND PHYSICAL CHEMISTRY

Structure of atom: Constitutions of nucleus: Bohr's atom model: quantum numbers Aufbau principle, electronic configuration of elements (upto Kr): De-Broglie relation, shapes of orbitatis.

Chemical bond: electrovalent, covalent and coordinate bonds, hybridization(sp): hydrogen bond: shapes of molecules (VSEPR theory): bond polarity, resonance, elements of VBT a MOT.

Solutions: models of expressing concentrations of solutions: types of solutions, Raoult's law of colligative properties, non-ideal solution, abnormal molecular weights.

Solid state: crystal lattices, unit cells, structure of ionic compounds: close packed structure ionic radi, imperfections(point defects): properties of solids.

Nuclear chemistry: radio active radiations: half-life, radioactive decay, group displacement law structure and properties of nucleus: nucleus reaction, disintegration series artcicial transmutation: isotopes and their uses:radiocarbon dating.

Chemical equilibrium: chemical equilibrium, law of mass action: Kp and Kc: Le Chatelier principle and its applications. Ionic equilibrium in solutions, solubility product, common ion effect, theories of acids and base hydrolysis of salts: PH: buffers.

Thermochemistry and thermodynamics: energy changing due to chemical reaction: instrinsic energy enthalpy, first law of thermodynamics: Hess's law heats of reactions: second law of thermodynamics: energy free energy: spontaneity of a chemical reaction: free energy change and chemical equilibrium: free energy as energy available for useful work.

Chemical kinetic: rate of reaction, factors affecting the rates, rate constant rate expression, order of reaction, first order rate constant expression and characteristics, Arrhenous equation.

Electrochemistry: oxidation, oxidation number and ion-electron methods. Electrolytic conduction,

Faraday's law: voltaic cell, electrochemical theory of corrosion. Surface chemistry, colloids and catalysis: Adsorption, colloids (types preparation and properities), Emulsions, Micelles, catalysis types and characterstics.

INOGRANIC CHEMISTRY:

principal and metallurgical operations: furnaces, ore concentration, extraction, purification metallurgies of Na, Al, Fe, Cu, Ag, Zn, and Pb and their properties. Chemical periodicity s.p.d and f-block elements, periodic table: periodicity: atomic and ionic radii valency, ionization energy, electron affinity electro negativity, metallic character.

Comparative study of elements: comparative study of following families of elements 1. Alkali metals 2. Alkaline earth metals 3. Nitrogen family 4. Oxygen family 5. Halogens 6. Noble gases. Transition

metals: electronic configuration of 3d metal ions, oxidation states, other general characteristics properties, potassium permanganate, potassium dichromate.

co-ordination compounds: simple nomenclature, bounding and stability, classification and bonding in

organometallics. chemical analysis: chemistry involved is simple inorganic qualitative analysis: calculations based on acid base titrimetry.

ORGANIC CHEMISTRY

Calculation of empirical and molecular formula of organic compounds, menclature of organic compounds, common functional groups isomerism structure and shapes of alkanes, alkanes and benzene.

Preparation properties and uses of alkynes, alkynes, benzene petroleum, cracking octane number, gasoline additives.

Nomenclature, physical chemical properties, correlation of physical properties with structure properties and uses of heloalkanes, halobenzenes, alcohols and phenols: general

ideas of some polyhalogen compounds vizdicholorothanes dichloraethers, chloroform, carbon tetrachloride D.D.T benzene

hexachloride.

Nomenclature, methods of preparation, chemical properties correlations of physical properties with structures and uses of elhers aldehydes, ketones, carboxylic acids and their derivatives, brief account of the chemistry of cyanides isocyanides, amines and nitro compounds.

Polymers: classification: preparation and uses of common natural and synthetic polymers.

Bio-molecules: classification, structure and biological importance of carvohydrates amino acids, peptides, proteins and enzymes, nucleic acids and lipids.

BIOLOGY:

BOTANY

Structure organization of cell, cell theory. Light and electron microscopic view of cells. structure and functions of cell organalles : nucleous mitochondria, Chloroplast, Endoplasmic reticulum, Golgi complex lysosome, micro bodies, microfilaments ribonsomes. Centrioles and plasmids, Eukaryotic chromosome (morphology) cell and plasma membrane. Difference between cell and animal division, cell cycle significance of mitosis and meiosis.

Mendel's law of inheritance, monohyobird and dihybird cross; linage and crossing over of genetic material DNA relication, genetic code transcription, translation and gene regulation.

Difference between prokaryote and eukaryotes: structure reproduction and economic importance of viruses Mycoplasma, Bacteriophage, cynobacteria (Nostoc) and bacteria.

Five kingdom classification binomial nomenclature: external morophology and life cycle of spirogyra mucor, funaria selaginella and pinus.

Elementary knowledge of microsporogensis, megasporongenesis. Fertilization endosperm and embroyo development in angiosperms. Tissue and tissue systems, meristematic and permanent tissue, mineral nutrition essential elements and their function: uptake of minerals transport of water and solutes.

Transpiration photosynthesis and repiration: importance, mechanism and factors affecting these processes: photorespiration. Enzymes and growth hormones with reference to their classification, chemical nature, mode of action importance. Elementary idea of photoperiodism and phytochrome.

Ecosystem – structure and fumction, mojor ecosystems i.e lake and forest; food chain., food web and energy flow, ecological crises role of man in polluting environment – air water and soil.

Role of plants in human welfare: a general knowledge of plant products of economic value drugs, fibers, cereals.

Wheat and rice, pulses (gram), oil sees (ground nut,) sugarcane, coal and petroleum, Food preservation methods and importance.

Principle of plant breeding and its role in improvement of crops, biotechnology, scope and importance in agriculture and industriesmanufacture of cheese. Yoghurt alcohol antibiotics.

ZOOLOGY:

MULTICELLULARITY- STRUCTURE AND FUNCTION OF ANIMAL LIFE:

- Structure and fuction of animal tissues epithelial, connective muscular, skeletal and nerve.
- Histology of mammalian organs –stomach, intestine, liver, kidney, lung testes and ovary.
- Structure and physiology of different organ systems of human body. Skin, digestive systems, respiratory system, circulatory system, excretory system, nervous system, reproductive system.
- Skeleton, joints , muscles on the basic of movement receptors.
- Endocrine system with special refrence to various endocrine glands of man and hormonal coordination.
- Vitamins and minerals (Source and disorders due to deficiencies).

DEVELOPMENTAL BIOLOGY AND GENETICS:

- Female reproductive cycle in mammals. Gametogenesis alongwith structure of sperm and ovum. Types of eggs, fertilization, types of cleavage and blastula, development of mammals upto three germinal layers. Foetal membrane structure and functions in mammals.

- Growth, repair, ageing, amniocentesis.

- Chromosomes, types of chromosome, human karyotype and chromosomal abnormalities and syndromes, hormonal, chromosomal and genic balance theory of sex determination, sex linkage and sex linked inheritance in man, blood group and their significance, blood bank.

- Tissue culture, genetic engineering (brief idea), mutation gene mutation.

- Human population natality mortality, sex ratio population, explosion, dynamics of human life with respect to food supply, housing health and standard of living impact of population problems and their control.

TAXONOMY EVOLUTION ECONOMIC ZOOLOGY:

- Classification- bionominal and trinominal nomenclature, basic features of classification of different animal phyla upto classes with characters and suitable examples.

- Orgin of life, theories of organic evolution- Drawin, Lamarck, synthetic evidence of organic evolution, human evolution.

- Economic zoology/sericulture, apiculture, lac culture, poultry, fishery and pearl industry.

- Protozaon disease in relation to man, insect carrying diseases in relation to man.

- Cancer types of cancer and cancer cell communicable diseases (Hepatitis, AIDS). STD, immune response, vaccines and antiseta allergies.

- Smoking, alcoholism and drug addition symptoms and control.

- Wild conservation.
- Pesticides- users, advantages and hazards.

4. GENERAL ENGLISH

1. Reading Comprehension
2. Vocabulary items including synonyms and antonyms, word formation, Prefixes, Suffixes.

3. Grammar and usage:

(a) Articles and determiners.

(b) Agreement between the subject and the verb.

(c) Time and tenses.

(d) Prepositions and phrasal verbs

(e) Auxiliaries including modals.

4. Transformation of sentences.

(a) Voices : active and passive.

(b) Narration : direct and indirect.

(c) Degrees if comparison

(d) Sentences types : Affirmative, negative and interrogative

5. Common errors.

6. Spelling (the British pattern of spelling will be followed).

अध्याय-4

प्रमाण पत्रों के प्रारूप

प्रपत्र - 1 :

उम्मीदवार के पिता / माता/वैध अभिभावक का शपथ-पत्र

(केवल अनुसूचित जाति, जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए)

नाम .... पिता का नाम ....

जाति/जनजाति (अनुसूची का क्रमांक) नाम...

धर्म ....

व्यवसाय ....

पता ....

मैं शपथपूर्वक कथन करती हूँ कि :-

1. मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अन्तर्गत जिला..के लिए घोषित .... अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सदस्य हूँ।

अथवा

2. मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी .... जिला .... के समक्ष जाति प्रमाण-पत्र करने हेतु जो आवेदन पत्र दिनांक.............................. को प्रस्तुत किया गया है। उसमें वर्णित जानकारी मेरे ज्ञान/विश्वास के अनुसार सत्य है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

....

टिप्पणी :- जो अनुपयुक्त विकल्प हो उसे काट देवें एवं प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

प्रपत्र - 2 :

उम्मीदवार के पिता / माता/वैध अभिभावक का शपथ-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग......................................जिला.............. मध्यप्रदेष

पुस्तक क्रमांक ....

प्रमाण-पत्र क्रमांक.........   प्रकरण क्रमाक.....................

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम.................................... निवासी ग्राम/नगर ....वि. खं..............................तहसील..जिला..सं भाग..जाति /जनजाति.................................. का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेष राज्य के संबंध में अनुसूचिज जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह .... .जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संषोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेष की सूची में अनुक्रमांक ....पर अंकित है. अतः श्री/श्रीमती/कुमारी .... .पिता/पति का नाम..अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।.

2. प्रमाणित किया जात है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी...के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये ....हैं.

हस्ताक्षर
प्रमाणिकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

दिनांक ....

टिप्पणी (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 केअंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेष राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अथ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेष राज्य से संबंधित जनजाति.

(2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गए प्रमाण-पत्र मान्य होंगे. (अ) कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ.(अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट, (ब) तहसीलदार, (स) नायब तहसीलदार, (द) परियोजना प्रषासक /अधिकारी, वृहत/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना,

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जावे, न कि उम्मीद्वार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ-पत्र केआधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर।

प्रपत्र - 3 :

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप : नियम 1.2.2 देखें

संदर्भ क्रमांक...................... दिनांक................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री (परीक्षार्थी का नाम) ....आत्मज श्री.................................. निवासी ग्राम..............जिला/संभाग ....मध्यप्रदेष के निवासी है जो ....जाति ....के है, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में, मध्यप्रदेष शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है.

श्री... (पिता का नाम) और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेष के जिला .... संभाग में निवास करता है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री...(पिता का नाम) क्रीमीलेयर (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रषिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी) दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में तथा म. प्र. शासन, सामान्य प्रषासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-7-16/2000/1 आ. प्र. दिनांक 6 जुलाई 2000 की अनुसूची अनुक्रमाक 6 आय/संपत्ती आंकलन भाग (क) संषोधित कालम (3) में किया गया है.

दिनांक.....................

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम

प्रपत्र - 4 :
भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक...................... दिनांक ....

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/कुमारी (उम्मीदवार का नाम)... श्री/कुमारी...के पिता/माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक हैं और स्थायी रूप से........................ (स्थान) तहसील जिला............. में स्थायी रूप से व्यवस्थापित हो गये हैं।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान :-

दिनांक .... (कार्यालय सील)

प्रपत्र - 5

अधिवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक........................ दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/कुमारी..........................आत्मजा पत्नी श्री...ने नियमित छात्रा के रूप में इस संख्या..(संस्था का नाम) में सत्र .... से सत्र तक .... अध्ययन किया है।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर.............

नाम एवं पद................

स्थान ....

(कार्यालय सील)

दिनांक ....

प्रपत्र - 6

वास्तविक निवासी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक................ दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी ....
आत्मजा/पत्नी/श्री/श्रीमती.. जो
तहसील..जिला.................. मध्यप्रदेश का निवासी है, क्योंकि वह

(1) मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है/ हुई है।

अथवा

(2) वह /उसका पालक/ वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरन्तर कम से कम 15 वर्षों से रह रहा/रही है।

अथवा

(3) उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में सेवारत है।

(4) वह स्वयं अथवा उसके पालक, राज्य में पिछले पाँच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं। इसके अतिरिक्त -

(1) उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है जिसमें कक्षा एक के पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

अथवा

(2) उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से निम्नलिखित में से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(क) 10+2 प्रणाली की दसवीं/बारहवीं कक्षा की परीक्षा

(ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा

स्थान.............................

दिनांक............................

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम एवं सील

टिप्पणी :- जो अंश आवश्यक न हो उन्हें काट दिया जावे।

प्रपत्र - 7

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक........................... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी...................... श्री/श्रीमती..का /की/पुत्री है।

(क) जो..................... विभाग में.... पर............................ (तिथि) से पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी है।

अथवा

(ख) जो .... विभाग में ....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे और जो .... (तिथि) को इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए।

अथवा

(ग) जो .... विभाग में ....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु सेवा के रहते हुए .... (तिथि) को हो गई थी।

अथवा

(घ) जो .... विभाग में ....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं।

....

कार्यालय प्रमुख /सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालयीन सील)

दिनांक ....

प्रपत्र - 8 :

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.......................... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी...
श्री/श्रीमती..का /की/पुत्री है, जो दिनांक 1 जनवरी 2010 को अथवा उसके पूर्व कि तिथि .... में मध्यप्रदेश में स्थित .... विभाग में .... पद पर पदस्थ केन्द्रीय शासन/सार्वजनिक उपक्रम का/की कर्मचारी हैं।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर....................

नाम एवं पद ....

स्थान ....

(कार्यालयीन सील)

दिनांक ....

प्रपत्र - 9 :

मध्यप्रदेश में पुनर्व्यवस्थापन संबंधी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.......................... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी...
श्री/श्रीमती...का/की/पु
त्री है, जो .... योजना के तहत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित है। यह
योजना भारत शासन /मध्यप्रदेश शासन द्वारा पुनर्व्यवस्थापन योजना (त्मेमजजसमउमदज ैबीमउम) है।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर........................

नाम एवं पद................................

स्थान ....

(कार्यालयीन सील)

दिनांक ....

प्रारूप-10

Professional Examination Board
प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड

Predefined Template

फोटो / Photo

4” x 5” सेमी फोटो यहाँ चिपकाये

4” x 5” cm photo paste here

Box-1

हस्ताक्षर / Signature

Box-2

निर्देश / Instruction)हस्ताक्षर / Signature)

- (i)अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स-2 के अंदर करें, (ii) अँग्रेजी के कैपिटल अक्षरों e vFkok vxzsth d y/k gLrk{kj ekU; ugh gksx A (iii) एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
- (i) Do your full signature within box-2, (ii)signature in capital letter or Short is not allowed(iii) more than 1 signature will be invalid

निर्देश / Instruction(फोटो / Photo)

- फोटोग्राफके निचले हिस्से पर फोटो खिचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिएतथा यह आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए
- Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photographandit should not old more than 3 months from application date

स्व-घोषणा / Self-declaration:

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वाराआवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है।यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर परझूठीया पात्रता मापदंडकी आवश्यकताओं अनुसारसंतोषजनकनहींपाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारीरद्दकी जा सकती हैं।

अथवा / Or

I hereby declare that all statements made in this application are true to the best of my knowledge and belief. If any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria according to the requirements, my candidature is liable to be cancelled.

स्व-घोषणा / Self-declaration

(ऊपर दिए गए घोषणा कोबॉक्स-3 के अंदरअपने लेखन में कॉपी करें/ Copy in your running hand writingin box-3, the declaration given above)

Box-3